न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1264–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–5–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–72/निगरानी/2006–07

1– गुरू प्रसन्न सिंह पुत्र श्री भीष्म सिंह
2– शिव प्रसन्ना सिंह पुत्र श्री भीष्म सिंह
दोनों निवासीगण अकोना तहसील रघुराज नगर
जिला सतना म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ---अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव , अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0 एम0 त्यागी , अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.7. 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 72/निगरानी/2006–07 पारित आदेश दिनांक 03–5–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 145/2 रकवा 2.00 एकड़ तथा 145/1 रकवा 0.50 एकड़ पर आवेदकगणों को पट्टा प्रदाय किया गया था अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि वर्ष 1979–80 में खसरा क्रमांक 145 का पूरा रकवा 5.40 एकड़ म0प्र0 शासन के नाम था जो बाद में वर्ष 1990–91 में आवेदकगण के नाम 2.00 एकड़ दर्ज हो गया जिस पर से कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर आवेदकगणों का कारण बताओं नोटिस देने के पश्चात निगरानी में आदेश दिनांक 11.10.06 पारित किया जिससे से दुखी होकर आवेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 3.5.2007 आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई, इसी से व्यथित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार रघुराज नगर द्वारा दिनांक 9.8.1980 को आराजी न0 145/1 रकबवा 2 एकड़ एवं आराजी नम्बर 145/2 रकवा 0.50 एकड़ का पट्टा विधिवत दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया

है कि पट्टा प्राप्ति दिनांक के पूर्व से कब्जा व दखल आवेदकगण का चला आ रहा है। अधिवक्ता द्वारा कहा है कि आवेदकगण द्वारा अपना धन, श्रम, कर अपना कृषि योग्य भूमि बनाई है जिस पर कुछ हिस्से पर मकान निर्मित कर अपने परिवार के साथ रहकर खेती कर रहा है तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है । उनके द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है राजस्व निर्णण 2001 पेज–9 दिनेश विरूद्व कलेक्टर इंदौर जो अवलोकनीय है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्रकरण 27 वर्ष पश्चात स्वप्रेरण निगरानी में लिया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है तथा पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता उन्हें नहीं है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि कलेक्टर जिला सतना द्वारा विधिवत जांच कराने पर पाया कि वाद पंजी 1980–81 में गुरू प्रसन्न सिंह व शिव प्रसन्न सिंह का नाम ही दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में पट्टा अपने आप संदिग्ध हो जाता है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने वही तथ्यों को दोहराया है जो निगरानी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह बात स्पष्टतः हो जाती है कि कलेक्टा जिला सतना द्वारा विधिवत जांच कराने पर पाया कि वाद पंजी

1980-81 में प्रकरण कमांक 23/अ-19/80-81 में आवेदकगण के नाम नहीं होने से पट्टे अपने आप संदिग्ध हो जाता है, यदि आवेदकगणों का पट्टा किया जाता तो निश्चित रूप से पंजी में दर्ज होता लेकिन उक्त पट्टे वाद पंजी में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने भी यही निष्कर्ष निकाले हैं ।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला सतना ने विधिवत जांच वाद पंजी की करा कर अपना आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर